

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
 जलपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक: 20/03/2020

क्रमांक: 254/ आउशि/ संबधता/ 2020: सत्र 2020-21 के लिये पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता जारी किये जाने हेतु मार्गदर्शिका में यह प्रावधान किया गया है कि पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में यूजी/पीजी संकाय के पाठ्यक्रमों की प्रथम तीन वर्ष/दो वर्ष की पाठ्यक्रम अवधि पूर्ण होने के उपरान्त संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता बनाए रखने हेतु प्रतिवर्ष राशि रुपये 1000/- (एक हजार) प्रति विषय विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन ही जमा करना होगा। प्रवेश पोर्टल पर पाठ्यक्रमों का सत्यापन निरन्तरता शुल्क जमा करने की पुष्टि उपरान्त ही किया जावे। उक्त निरन्तरता शुल्क समय पर जमा न करने की स्थिति में प्रदान की गई अनुमति/अनापति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना प्रस्तावित होगा।

2. विधि पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता के लिए निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है, तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपति नहीं है। निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व बार कौंसिल ऑफ इंडिया का ही होगा।

3. सत्र 2020-21 के लिए निरंतरता हेतु विवरण निम्नानुसार है:-


क्र.	समिति का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का नाम	निरन्तरता के विषय	अमान्य विषय
1	ASTHA SHIKSHAN EVAM SEWA SAMITI	AWDESH PRATAP SINGH UNIVERSITY, REWA	INS1473 - PT. T P SHUKLA GRADUATE COLLEGE, VENKATNAGAR	B. A. [HINDI, POLITICAL SCIENCE, SOCIOLOGY],	
2	YUVA KALYAN EVAM NAVEEN EDUCATIONAL SOCIETY	AWDESH PRATAP SINGH UNIVERSITY, REWA	INS1726 - DIGITAL COLLEGE OF EDUCATION, KOTMA	B. A. [ENGLISH, HINDI, POLITICAL SCIENCE], B. COM [COMMERCE, COMMERCE WITH COMPUTER APPLICATION], B. B. A. [PLAIN],	
3	KOTMA VIVEKANAND SHIKHAN SAMITI KOTMA	AWDESH PRATAP SINGH UNIVERSITY, REWA	INS1738 - SHRI PARASNATH MAHAVIDYALAY, KOTMA	B. A. [COMPUTER, HINDI, POLITICAL SCIENCE, SOCIOLOGY], B. COM [COMMERCE, COMMERCE WITH COMPUTER APPLICATION],	
4	SHRI KALYAN SEVA ASHRAM	AWDESH PRATAP SINGH UNIVERSITY, REWA	INS1742 - KALYANIKA KENDRIYA SHIKSHA NIKETAN COLLEGE, AMARKANTAK	B. LIB [PLAIN],	


 प्राचार्य

भीमूत महाविद्यालय गंगेव
 जिला रीवा (म.प्र.)



क्र.	समिति का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का नाम	निरन्तरता के विषय	अन्य विषय
22	SAVE HAND SOCIETY	AWDESH PRATAP SINGH UNIVERSITY, REWA	P488 - SHREE INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES	B. COM [COMMERCE, COMMERCE WITH COMPUTER APPLICATION], B. B. A [PLAIN], B. C. A [PLAIN], M. S. W. [SOCIAL WORK], PGDCA [PLAIN], PG DIPLOMA [YOGIC SCIENCE]	
23	SHRIYUT SHIKSHA SAMITI, REWA	AWDESH PRATAP SINGH UNIVERSITY, REWA	P489 - SHRIYUT COLLEGE	B. A. [COMPUTER, ECONOMICS, ENGLISH, GEOGRAPHY, HINDI, HISTORY, MUSIC, PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCE, PSYCHOLOGY, SANSKRIT SAHITYA, SOCIOLOGY], B. SC. [BOTANY, CHEMISTRY, COMPUTER, GEOLOGY, MATHEMATICS, PHYSICS, STATISTICS, ZOOLOGY], B. COM [COMMERCE, COMMERCE WITH C.A. TAXATION, COMMERCE WITH COMPUTER APPLICATION, COMMERCE WITH TAX PROCEDURE AND PRACTICE], B. C. A [PLAIN], B. LIB [PLAIN], L.L.B. [PLAIN], L. L. M. (1 YEAR) [PLAIN], M. A. [ECONOMICS], M. A. [ENGLISH], M. A. [GEOGRAPHY], M. A. [HINDI], M. A. [HISTORY], M. A. [POLITICAL SCIENCE], M. A. [SANSKRIT], M. A. [SOCIOLOGY], M. COM. [ACCOUNTING], M. COM. [COMMERCE], M. COM. [COMPUTER], M. COM. [MANAGEMENT], M. S. W. [SOCIAL WORK], M. SC. [BOTANY], M. SC. [CHEMISTRY], M. SC. [COMPUTER], M. SC. [GEOLOGY], M. SC. [MATHEMATICS], M. SC. [PHYSICS], M. SC. [ZOOLOGY], L. L. M. (2 YEAR) [PLAIN], M. LIB I.S.C [PLAIN], BPES [PLAIN]	


 प्राध्यापक
 19.11.21
 श्रीयुत महाविद्यालय गंगेव
 जिला रीवा (म.प्र.)



क्र.	समिति का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का नाम	निरन्तरता के विषय	अन्य विषय
81	SAJ MANAV VIKAS AVAM ANUSANDHAN SAMITI	AWDESH PRATAP SINGH UNIVERSITY, REWA	P593 - SHRI SAJ COLLEGE	B A (ECONOMICS GEOGRAPHY, HISTORY SOCIOLOGY), B SC (BIOTECHNOLOGY BOTANY CHEMISTRY, COMPUTER MATHEMATICS, PHYSICS, ZOOLOGY), B COM (COMMERCE, COMMERCE WITH COMPUTER APPLICATION, COMMERCE WITH TAX PROCEDURE AND PRACTICE), B B A (PLAN), B C A (PLAN), M A (GEOGRAPHY), M A (HISTORY), M COM (COMMERCE), M SC (CHEMISTRY), M SC (PHYSICS)	

- विद्यमान असासकीय महाविद्यालयों को उनके द्वारा पूर्व से संचालित फलस्वरूप/संकेतों का सत्र 2020-21 के लिए निर्धारित अवधि में निरन्तरता शुल्क जमा करने के फलस्वरूप पूर्व से संचालित ऐसे फलस्वरूपों जिनमें अंतिम वर्ष/उत्तरार्ध कक्षाओं के लिए अनापति प्रमाण पत्र पूर्व में जारी हो चुका है, की सत्र 2020-21 की निरन्तरता हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाय।
- संबंधित विश्वविद्यालयों में वर्तमान सत्र के लिये सम्बद्ध/निरन्तरता हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि अनापति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की तिथि से 07 दिवस होगी। अतः सम्बद्ध/निरन्तरता हेतु संबंधित विश्वविद्यालय में समन्वय में प्रस्तुत किया जाये।
- विश्वविद्यालय द्वारा मध्य फलस्वरूपों की सम्बद्ध/निरन्तरता प्रदान करने के पूर्व परिलिखित 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाये।
- किसी भी मूलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्रचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
- असासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य कर्त एवं नियम बंधक होंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"



(श्री. धीरेन्द्र शुक्ला)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, म.प्र.

मोबा. दिनांक : 29/03/2020

पृ. क्र. 255/ आउशि/संवधतल 2020


प्रतिनिधि:-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश, भोपाल (म.प्र.)
- निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश हासन, उच्च शिक्षा विभाग, मन्दायक भोपाल (म.प्र.)
- निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश, भोपाल (म.प्र.)
- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश हासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकाश, भोपाल (म.प्र.)
- संबंधित अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय REWA (म.प्र.)
- संबंधित कुलसचिव, Awadesh Pratap Singh University, Rewa (म.प्र.)
- प्रचार्य, संबंधित असासकीय असासकीय महाविद्यालय, (म.प्र.)
- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रचार्य, मध्य प्रदेश।
- समस्त संबंधित महाविद्यालयों की ओर सूचनाएं एवं आवेदक बंधक हेतु



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, म.प्र.


श्री. धीरेन्द्र शुक्ला
दिनांक : 29/03/2020

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सालपूजा भवन, भोपाल - 462004

--: आदेश :-


भोपाल, दिनांक: 28/03/2021

क्रमांक: 880/ आ/शिक्षा/ संव/प्रशा/ 2021: आदेश में सत्र 2021-22 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संघान्वित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शनी निर्देशांती की भावदक्षिणा जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 25(1)(पांच) एवं धारा 24 (चारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संघान्वित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करती सर. नियमानुसार विचार कर सकता है।
3. सत्र 2021-22 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक शिशु/एड/बोपजी द्वारा पूर्व से संघान्वित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषयों को प्रारंभ करने एमपीऑनलाइन के पोर्टल पर "ऑनलाइन" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम दिनांक 15/11/2020 निर्धारित की गई थी।
4. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।
5. संस्था द्वारा पूर्व से संघान्वित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये निर्धारित अवधि में ऑनलाइन प्राप्त आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।
6. संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किये गये दस्तावेजों एवं इण्डेक्स कार्यक्रम में निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन अपलोड दस्तावेजों की प्रमांनित प्रति प्राप्त कर मार्गदर्शिका में वर्णित अपेक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण तथा अनुवीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनुमोदन उपरान्त पूर्व से संघान्वित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

क्रमांक	विवरण	विदु क्रमांक	टीप
1.	विश्वविद्यालय का नाम	AWDESH PRATAP SINGH UNIVERSITY, REWA	
2.	शिशु/एड/बोपजी का नाम	SHRIYUT SHIKSHA SAMITI, REWA	
3.	विद्यमान अशासकीय महाविद्यालय का नाम एवं पते	P489 - SHRIYUT COLLEGE, DIST. REWA VILLAGE POST GANGEO DISTT REWA MP	
4.	आवेदन नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	NEW FACULTY:- PGDCA (ALL YEAR) PLAIN	
5.	मध्य: नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	NEW FACULTY:- PGDCA (ALL YEAR) PLAIN	
6.	अमान्य नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	N/A	

7. संबंधित विश्वविद्यालयों में वर्तमान सत्रों के लिये सम्बद्धता हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की तिथि से 07 दिवस होगी। अतः सम्बद्धता हेतु संबंधित विश्वविद्यालय में समयसीमा में प्रस्तुत किया जाये।
8. मार्गदर्शिका के पृष्ठ क्रमांक-23 विन्दु क्रमांक-14.7 (ख) के परिष्कारों में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के लिये अधिकतम 3 वर्ष तक मान्य होगा।
9. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता-प्रदान करने के पूर्व परिनियम-27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाये।
10. उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।
11. अमान्य किये गये पूर्व संघान्वित अशासकीय महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के समक्ष ऑनलाइन रिज्यु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अमान्य आदेश जारी होने की दिनांक से 05 दिवस के अन्दर एमपीऑनलाइन के पोर्टल पर रिज्यु रशि 35,000/- (रुपये पचास हजार) केवल सहित ऑनलाइन रिज्यु दर्ज किया जा सकता है।
12. विच्छेद की गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
13. अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित अमान्य सत्रों एवं नियम बचावत रहेंगे।


 प्राचार्य 28.03.21
 श्रीयुत मार्गदर्शिका-सम समिति
 जिला रीवा (म.प्र.)




(डॉ. धीरेन्द्र कुन्हा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

भोपाल, दिनांक: 28/03/2021

पु. क्र. 881/ आरक्षि संवत् 2021


वृत्तिविधि:-

1. मिज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय-भोपाल (म.प्र.)।
 2. मिज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र.)।
 3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल (म.प्र.)।
 4. संबंधित अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय REWA (म.प्र.)।
 5. संबंधित कुलसचिव, Awadesh Pralap Singh University, Rewa, (म.प्र.)।
 6. प्राचार्य, संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, (म.प्र.)।
 7. संबंधित संस्था P489 - SHRIYUT COLLEGE, DIST. REWA के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।





विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.


28.3.21
प्राचार्य
श्रीयुत महाविद्यालय रायपुर
जिला रेवा (म.प्र.)